

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

क्रमांक..... 25 तारीख दायर..... 06/08/2020 दिनांक निर्णय..... 03/09/2020

उनवान

पटवारी हनुमा मजेटा बनाम सुनबी देवी

आज पत्रावली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-7..... का नया कब्जा होना साबित होता है।

तिक्रमी काबिल बेदखली है।

मत: ओदश है कि-

गैरसायल श्रीमती सुनबी देवी पुत्र/पत्नी बामसदाय मीना

जाति मीना निवासी मजेटा

को आराजी खसरा नं. 19/650 रकबा 0.19 किस्म सिंवायचक वाके ग्राम

मजेटा (इन्डिया) से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.60 की

50 गुणा में मु. 30/- रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21

के पृष्ठ संख्या 16 पृष्ठ सिन्च-पै. 30/-
राशि कायम किये गये। क. मि. 600/-

पबठ
त. रा. लेखाकार

हनुमा
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)